

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 132] No. 132] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 8, 2007/माघ 19, 1928

NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 8, 2007/MAGHA 19, 1928

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 जनवरी, 2007

का.आ. 165(अ).—ऑटिज्म, प्रमस्तिष्क अंगघात, मानसिक मंदता तथा बहु-विकलांगता वाले व्यक्तियों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999 की धारा 3(4) द्वारा प्रदत्त शिक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा तत्काल प्रभाव से ऑटिज्म, प्रमस्तिष्क अंगघात, मानसिक मंदता तथा बहु-विकलांगता वाले व्यक्तियों के कल्याण हेतु राष्ट्रीय न्यास बोर्ड का गठन करती है और इस प्रयोजनार्थ भारत सरकार के दिनांक 9-12-2003 की अधिसूचना सं. का.आ. 1421(अ) और दिनांक 14-3-2005 के का.आ. 317(अ) में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना में क्रम 2 से 7 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों में, निम्निलिखित क्र. सं. और प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :--

- सुश्री मीरा रामचन्द सदस्य मानसिक मंद व्यक्ति के लिए संघ, बंगलौर, कर्नाटक
- श्री एम. रविचन्द्रन सदस्य विशेष बच्चों के लिए करुणली ट्रस्ट, चेन्नई, तमिलनाडुं
- 4. सुश्री स्नेह मिश्रा सदस्य एएआईएनए भुवनेश्वर, उडीसा

- श्री पी. जॉन राजकुमार — सदस्य मैत्री, चेन्नई, तिमलनाडु
- सुश्री मैरी बरुआ सदस्य एक्शन फॉर ऑटिज्म, दिल्ली
- 7. श्री अनिल जोशी सदस्य स्वीकार नागपुर, महाराष्ट्र

क्रम सं. 2,6 और 7 पर व्यक्तियों का दोबारा चयन किया गया है। बोर्ड के उक्त सभी सदस्य 9 दिसम्बर, 2006 से तीन वर्ष के लिए अथवा उनके उत्तराधिकारी की नियुक्ति तक, जो भी दीर्घावधिक हो, कार्यभार संभालेंगे, बशर्ते कि उनमें से कोई भी सदस्य 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद अपने पद पर नहीं बना रहेगा।

> [फा. सं. 5-19/2003/एन आई-II] आशीष कुमार, उप महानिदेशक

नोट: दिनांक 9 दिसम्बर, 2003 की अधिसूचना सं. 1421 और दिनांक 14 मार्च, 2005 की अधिसूचना 317 भारत के राजपत्र (असाधारण), भाग II, खण्ड 3,उप-खण्ड (ii) में 15 दिसम्बर, 2003 की सं. 1111 और 15 मार्च, 2005 की सं. 251 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT NOTIFICATION

New Delhi, the 18th January, 2007

S.O. 165(E).—In exercise of the powers conferred by Section 3(4) of the National Trust for Welfare of Persons

with Autism, Cerebral Palsy, Mental Retardation and Multiple Disabilities Act, 1999, the Central Government hereby constitutes—the Board of the National Trust for Welfare of Persons with Autism, Cerebral Palsy, Mental Retardation and Multiple Disabilities with immediate effect and for that purpose makes the following amendments to the notification number S.O. 1421(E) dated 9th December, 2003 and S.O. 317(E) dated 14th March, 2005 of the Government of India, namely:—

In the said notification, for serial number 2 to 7 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:—

- Ms. Meera Ramchand Member Association for the Mentally Challenged, Bangalore, Karnataka
- Mr. M. Ravi Chandran Member Karunali Trust for Special Children, Chennai, Tamil Nadu
- Ms. Sneha Mishra Member AAINA,
 Bhubaneswar,
 Orissa

- Mr. P. John Rajkumar Member Maithree, Chennai, Tamil Nadu
- 6. Ms. Merry Barua Member Action for Autism,
 Delhi
- Mr. Anil Joshi Member Sweekar,
 Nagpur, Maharashtra

The persons named at serial no. 2, 6 and 7 have been re-elected as member. All the above named members shall hold office of the board with effect from the 9th December, 2006 for a period of three years or till their successors, are appointed, whichever is longer, provided that none of them shall hold office as Member after he has attained the age of sixty five years.

[F. No. 5-19/2003-NI-II] ASHISH KUMAR, Dy. Director General

Note: The notification No. 1421(E) dated 9th December, 2003 and 317(E) dated 14th March, 2005 were published in the Gazette of India (Extraordinary), Part II, Section 3, Sub-section (ii) vide No. 1111 dated 15th December, 2003 and 251 dated 15th March, 2005, respectively.